राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या–1461 व 1462/2014..................जिला...........भरतपुर...

उनवान – मैसर्स एन.के.इण्डस्ट्रीज, भरतपुर व मैसर्स एन.के.प्रोडक्ट्स, भरतपुर बनाम् सहायक आयुक्त वृत्त–प्रतिकरापवंचन भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.09.2014	एकलपीठ श्री मदन लाल, सदस्य अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्–पृथक् आदेश दिनांक 19.06.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेशों में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित पृथक्–पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 02.04.2014 जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26, 55 व 61 के तहत् निर्धारण वर्ष 2008–09 के लिये पारित किये गये हैं में कायम मांग राशियों के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवदेन पत्रों को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान ब्याज की मांग राशियां कमश रू.64,772/– व रू.1,06,951/– पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री ओ.पी.गुप्ता एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिववता श्री एन.के.बैद बहस हेतु दिनांक 19.09.2014 को उपस्थित हुये। उभयपक्षीय बहस वसूली स्थगन पर सुनी जाकर अपीलों पर निर्णय पारित किया जा रहा है । विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है क्योंकि उक्त अस्पष्ट आदेश (Non-speaking) की श्रेणी में आते हैं। कथन किया कि कथित अन्तरिम प्रतिसत्यापन जांच, जो पश्चिम बंगाल राज्य के व्यवहारियों से की गयी है, वह पूर्णतः अधूरी व अविश्वसनीय एवम् रिकॉर्ड के तथ्यों के विपरीत है। पश्चिम बंगाल के अधिकारियों द्वारा विभागीय प्रतिसत्यापन जांच में केवल घोषणा प्ररूप "सी" किन्हीं व्यवहारियों को जारी नहीं करना प्रकट किया गया है जबकि इस संबंध में पूर्ण सूचना चाही गयी थी, है परन्तु अग्रिम जांच नहीं कर, पश्चिम बंगाल राज्य के अधिकारियों द्वारा निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध नहीं करायी गयी है जिससे यह प्रकट होता है कि घोषणा प्ररूप "सी" "मिथ्या" अथवा "कूटरचित" नहीं है । अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रोद्धरित किये:– 1. मैसर्स सास्था एन्टरप्राईजेज़ बनाम् अपीलीय अधिकारी, कमिश्नर (सीटी) II (एफएसी), चेन्नई एण्ड अनॉदर (2011) 37 वी.एस.टी. 94	

लगातार 2